

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/से0नि0/आर-2/2017/ 823


दिनांक:- 27/10/17

आदेश

श्रीमती सरलअम्मा बी. महिला स्वास्थ्य दर्शिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरु), जिनकी जन्म तिथि 15.10.1957 है तथा राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 03.09.1983 है, को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.10.2017 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

इनके विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/से0नि0/आर-2/2017/ 823

दिनांक:- 27/10/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-बीकानेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ (चूरु)।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरु)।
5. संबंधित कार्मिका को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर